तार का पताः ''मिनीस्टील''
Telegraphic Address : "MINISTEEL"

सं०
No. 31016/3/2010-सा.प्र.

GOVERNMENT OF INDIA
इस्पात मंत्रालय
MINISTRY OF STEEL
उद्योग भवन
UDYOG BHAWAN
नई दिल्ली-110107
New Delhi-110107

दिाकं 30/03/2010

814

सेवा में,

संलग सूची के आुसार

विषयः-इस्पात मंत्रालय में वर्ष 2010-11 में पेस्ट कन्ट्रोल एवं फर्श (टाईल की सफाई) के लिये मुहरबंद निविदाये मंगाने के सम्बंध में ।

महोदय,

अधोहस्ताक्षरी को उपरोक्त विषय पर यह कहने का निदेश हुआ है कि यदि आपकी फर्म उपरोक्त कार्य को करने की इच्छुक है । तो निविदांए दिनाकं 12.4.2010 को सुबह 11.00 बजे तक कक्ष सं. 74, उद्योग भवन में भेजी जा सकती है । प्राप्त निविदाओं कों उसी दिन सुबह 11.30 बजे आवेदक फर्मो के इच्छुक उपस्थित प्राधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोला जाऐंगा । निविदा के साथ 5,000 रूपये का बैक ड्राफट (वेतन एंव लेखा अधिकारी के नाम देय) भी अवश्य सलंग्न करे अन्यथा निविदा पर विचार नही किया जायेगा ।

2 इस्पात मंत्रालय में सक्षम प्रधिकरी के पास बिना कारण बताए किसी भी निविदा को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है ।

भवदीय,

(अतुल कुमारसिंह)
अनुभाग अधिकारी

प्रति_: NIC, इस्पात मत्रांलय की website पर दर्शाने के अनुरोध के साथ ।

शतेः-

1. कीटनाशिक दवाई का छिडकाव कक्षो,गलियारो एवं इस्पात मंत्रालय द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र में कराया जायेगा ।

२. अनुबंन्धकर्ता फर्म को कीटनाश्ी छिडकाव से सम्बधित सभी मशीने एवं साम्री अपनी लागत पर प्रयोग करनी होगी तथा निविदा में प्रयोग की जाने वाली समस्त रासायनिक दवाओ/पदार्थो के नामो का उल्ल्ेख करना होगा ।

३. यह फर्म की जिम्मेदारी है कि वह मंत्रालय अधिग्रहित क्षेत्रो को कीट दीमक आदि से मुक्त रखे इसके लिये वह प्रशिक्षित कर्मी रखे किसी पेकार कीपरिवहन लागत को मंत्रलय द्वारा वहन नही किया जायेगा ।

४. यदि फर्म द्वारा कार्य संतोषजनक नही पाया गया तो किसी भी समय काय ंकिसी भी अन्य फर्म द्वारा कराया जा सकता है। इसका उतरदायित्व अनुबंधित फर्म का होगा ।

५. फर्म को जमानत के रूप में 5000 रूपये का डिमाड ड्राफट वेतन एवं लेखा कार्यालय, इस्पात मंत्रालय, नई दिल्ली के नाम जमा कराना होगा किसी भी रूप में शर्तो का उल्लघन करने पर इसका हर्जाना फम ंको भरना होगा ।

६. सक्षम अधिकारी को किसी भी समय अनुबंध को बिना कारण बताये समाप्त करने सम्बन्धित समस्त अधिकार प्राप्त है।

७. सेवा कर / बिक्री कर या कोई भी अन्य कर की जानकारी अलग से देनी होगी ।

८. अनुबंध की अवधि फर्म को अनुबंन्ध पत्र देने की तारीख से अगले एक वर्ष के लिये होगी ।

९. कार्य सम्पादन के बाद बिल (तीन प्रतियो में) कार्य संतोषजनक होने का प्रमाण पत्र सम्बधित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत करना होगा इसके बाद ही मंत्रालय बिल का भुगतान करेगा ।

१०. यह छिडकाव निर्देसुनार कार्य दिवस पर साये अथवा छुटी के दिन/शनिवार आदि को कार्यलय की सुविधा अनुसार कराया जायेगा प्रयास होगा कि एक समय पर कम से कम एक Floor पर छिडकाव हो जाये ।

११. फर्म को सुनिश्चित करना होगा कि पेस्ट कन्ट्रोल Health safty Standard के अनुरूप ही होगा ।

क्र.सं.	मद	दरे (प्रति वर्ग फुट)
1.	विट्रिफाइड टाईल पालिश सहित	----------------
2.	काजरिया टाईल पालिश सहित	-----------------
3.	पेस्ट कन्ट्रोल	------------------